

पञ्चमं
पञ्चवली देवा इति अत्रिकी मप वकील अनु
पञ्चवली का अवलोकन किया गया / प्रकाश
संकेत के वर प्रकार से है कि अदालत
माहम का निर्णय दिनांक 26.10.1952 विकसित
अपने ओम प्रकाश 50 आगीरप आदि भीण
निवासी निर्णय लक्ष्मीय उपयुक्तगी जिला
उ.प्र. (राज.) द्वारा माहमीय न्यायालय अदालत
जिला कलेक्टर के अमील लेखा 5/2012

अपील स्वीकार कर दिनांक 5.2.18 को अपील
 गारि कर प्रमाण दिखाने कर वस आरप ले
 किया गया कि अपील अपीलान्त अंशिक रूप
 से स्वीकार की जाकर तदानीय पार उपपुत्राणी
 द्वारा पारित दिनांक 26.10.17 को अपील
 किया गया है & पत्रावली तदानीय पार उपपुत्राणी
 को हज. प्रेषित की जाती है कि वाद गस्त भक्ति
 के संबंध के अपीलान्त को साक्ष्य लखत पेश
 करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए
 वादगस्त भक्ति का हज. प्रेषित किया जाय कर
 साक्ष्य लिखित का अवलोकन का लिखित गवाही
 के अंतर्गत लखत गवाही के विवेचन करते
 हुए लिखित भक्ति दिनांक पारित की।

पत्रावली पार हज. प्रेषित कर 5.2.18 को अपील
 दि. नं. 20. अपीलान्त 1956 की धारा 91 के तहत
 दर्ज शक्ति स्वरुत किया जाकर नोटिस गारिपे
 अपीलान्त को तलब किया गया। नोटिस
 काड गारिपे शामिल जिसका शेषा गया।
 तथा न. अलिखित लिखित कर पार प्रेषित
 गारिपे व वादगस्त भक्ति के लिखित ली जाने
 लिखित गया।

नोटिस के तलब लेख प्रेषित कर 5.2.18 को अपील
 हज. प्रेषित कर दिनांक 3.18.18 को अपीलान्त
 अपील प्रमाण व अपील ले लेखोरेट भक्ति लिखित
 उप. 9 का अपील वकालत वकालत पेश किया
 जो शामिल पत्रावली रखा गया। अपीलान्त
 अपीलान्त के अपीलान्त अपीलान्त वकालत
 अपीलान्त अपीलान्त अपीलान्त अपीलान्त
 अपीलान्त अपीलान्त अपीलान्त अपीलान्त

एकानार के एका सांबत नष्ट धन न ...
मिषम की नारीस में नष्ट आग हो करः
आदिउमी को २१० लेवड रेवन्यू एक्ट १९५६ की
धारा ११(३) के तहत लेवन २०७५-७५ के लिए
आदिउमी घोषित किया जा रहा है तथा गैर
बदल पत्रवारी एका की रिपोर्ट में पुत्रः
के दावत दिने जाने के आदेश दिने जा रहे हैं
पत्रवारी एका व २२. आदि शैसक का को। रि
कप के दावती कर के दावती रिपोर्ट में पुत्र
करने हेतु लिया। आदिउमी को २०७५ एका
धर्क के पैनल की गुणार्थ पत्रावली में
दिना आनुका हो धर्क नुसार कछुली की नाम
पालन) उक्त को। पत्रावली के अन्त शुभा
होकर गम्भिर निकल था।

दिना आदिगोत्र २२.५.१९ को गैरे डा
लि (वयादा) का क छुले न्यायालय के सुनाया गया